



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 221]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 28, 2018/आषाढ़ 7, 1940

No. 221]

NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 28, 2018/ASHADHA 7, 1940

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 28 जून, 2018

सं. 15/2015-2020

**विषय:** भारत से सेवा निर्यात स्कीम (एसईआईएस) के तहत आवेदन हेतु संशोधित एएनएफ 3ख

**फा. सं. 01/61/180/39/एम 19/पीसी-3.**—विदेश व्यापार नीति 2015-20 के पैरा 1.03 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक, विदेश व्यापार एतद्वारा प्रक्रिया पुस्तक 2015-20 के पैरा 3.04 (ख) के तहत भारत से सेवा निर्यात की स्कीम (एसईआईएस) हेतु नए एएनएफ 3ख को अधिसूचित करते हैं।

2. नए एएनएफ 3ख को इस सार्वजनिक सूचना के साथ संलग्न किया जाता है।

**सार्वजनिक सूचना का प्रभाव:** सभी एसईआईएस आवेदनों हेतु भारत से सेवा निर्यात स्कीम (एसईआईएस) के अंतर्गत ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्टों को जारी करने हेतु एक नए आवेदन प्रारूप को अधिसूचित किया जाता है।

आलोक वर्धन चतुर्वेदी, महानिदेशक, विदेश व्यापार

## सार्वजनिक सूचना सं. 15/2015-20 दिनांक 28.06.2018 का अनुलग्नक

## एएनएफ-3ख

## भारत से सेवा निर्यात स्कीम (एसईआईएस) हेतु आवेदन फार्म

(कृपया आवेदन भरने से पहले विदेश व्यापार नीति के पैरा 3.07 से 3.12 और प्रक्रिया पुस्तक का पैरा 3.04 और एसईआईएस के लिए लागू अन्य सामान्य प्रक्रियात्मक विशेषताओं को पढ़ें)

आवेदकों हेतु दिशानिर्देश:-

नीचे दिए गए एएनएफ 3ख को भरने के साथ-साथ आवेदकों को निम्नलिखित दस्तावेजों को आनलाइन अपलोड करना होगा

1. भुगतान का दस्तावेजी प्रमाण जिसे आरबीआई द्वारा परिशिष्ट 3ड. में सेवाओं हेतु विदेशी मुद्रा में प्राप्त किए जाने तथा विदेशी मुद्रा में अर्जित किए जाने के रूप में अनुमोदित किया जाता है।
2. यदि बीजकों के अनुसार सेवाओं का वर्णन परिशिष्ट 3घ/3ड. में सेवाओं के वर्णन से भिन्न है तो विभिन्न सेवाओं में से प्रत्येक हेतु नमूना बीजकों की प्रतियों को आवेदक द्वारा अपलोड किया जाएगा।

(संबंधित वर्ष हेतु आवेदक द्वारा एसईआईएस ई-कॉम मॉड्यूल में ऑनलाइन भरने हेतु)

1.	आवेदक विवरण	
i	आईईसी सं. (01.07.2017 से 10 अंक की अक्षरांकीय पैर सं.)	
ii	आईईसी को जारी करने की तिथि: (कृपया एफटीपी का पैरा 3.08(च) को नोट करें)	
iii	फर्म का नाम	
iv	पता	
v	दूरभाष संख्या	
vi	ई-मेल आईडी	
2.	आरसीएमसी विवरण:	
i.	आरसीएमसी संख्या	
ii.	(दिन-माह-वर्ष) तक वैध	--
iii.	जारी करने वाला प्राधिकारी	
iv.	उत्पाद/सेवा जिनके लिए मुख्य व्यवसाय के रूप में पंजीकृत है	
3	आवेदन की बारंबारता	वार्षिक
4.	पात्र सेवाओं हेतु अर्जित निवल विदेशी मुद्रा का बीजक-वार विवरण: (कृपया तालिका को भरने संबंधी दिशानिर्देशों को पढ़ें)	(नीचे तालिका में केवल सेवा प्रदान करने के वर्ष/अवधि के बारे में सूचना प्रदान करना अपेक्षित है)

क्र. सं.	बीजक में उल्लिखित विवरण के अनुसार प्रदान की गई सेवा का वर्णन	बीजक संख्या और तिथि	परिशिष्ट 3घ/3ड. और वर्णन के अनुसार सेवा की क्रम संख्या	परिशिष्ट 3घ के अनुसार पात्रता की दर (प्रतिशत में)	3ड. हेतु अमरीकी डॉलर/भारतीय रुपये में अर्जित सकल विदेशी मुद्रा	विदेशी मुद्रा का अमरीकी डॉलर में किया गया कुल व्यय/भुगतान/विप्रेषित धन	अमरीकी डॉलर (1) में अर्जित निवल विदेशी मुद्रा	पात्रता (अमरीकी डॉलर में)
1	2	2A	3	4	5	6	7=(5-6)	8=(4X7)
वर्ष 2017-18 के अलावा प्रदान की गई सेवा के वर्ष हेतु भरा जाए								
1								
2								
3								
..								
	कुल					अनुलग्नक ग के अनुसार कुल	कुल एनएफई	कुल पात्रता (अमरीकी डॉलर (1) में)

वर्ष 2017-18 में प्रदान की गई सेवा के वर्ष हेतु भरा जाए*							
दिनांक 01.04.2017 से 31.10.2017 की अवधि हेतु (अवधि-1)							
1							
2							
..							
						अनुलग्नक ग के अनुसार कुल	कुल एनएफई कुल पात्रता (अमरीकी डॉलर (1) में)
दिनांक 01.11.2017 से 31.03.2018 की अवधि हेतु (अवधि-2)							
1							
2							
						अनुलग्नक ग के अनुसार कुल	कुल एनएफई कुल पात्रता (अमरीकी डॉलर (1) में)
							कुल पात्रता (अमरीकी डॉलर (2) में)

#### उपर्युक्त तालिका को भरने हेतु दिशानिर्देश:

- यदि उपर्युक्त तालिका में कॉलम सं0 7 में अमरीकी डॉलर में कुल निवल विदेशी मुद्रा (एनएफई) विदेश व्यापार नीति के पैरा 3.08 (ख) में निर्धारित न्यूनतम अर्जित आय के मानदंडों से अधिक है तो क्षेत्रीय प्राधिकारी पात्रता के अनुसार स्क्रिप जारी करेगा। यदि उपर्युक्त कॉलम सं0 7 में राशि ऋणात्मक है तो अवधि की पात्रता शून्य होगी, अतः कोई स्क्रिप जारी नहीं की जाएगी।
- वर्ष 2017-18 में प्रदत्त सेवा हेतु वर्ष के लिए एसईआईएस के तहत पात्रता के परिकलन के लिए यदि अवधि-1 अथवा अवधि-2 की अर्जित निवल विदेशी मुद्रा ऋणात्मक है (जैसा उपर्युक्त तालिका के कॉलम 7 में दिया गया है) ऋणात्मक एनएफई को अन्य अवधि के साथ जोड़ा जाएगा, जैसा मामला हो, ताकि अन्य अवधि की एनएफई का आकलन किया जा सके। आवेदक को तब ही स्क्रिप जारी की जाएगी जब एनएफई धनात्मक हो। पात्रता उस अवधि हेतु निर्धारित दरों पर आधारित होगी जिसमें धनात्मक निवल विदेशी मुद्रा अर्जित की गई है। वर्ष 2017-18 की अवधि के लिए न्यूनतम एनएफई के आय मानदंड को इस नोट में दी गई गणना को ध्यान में रखे बिना पैरा 3.08(ख) में संपूर्ण वर्ष के लिए अलग-अलग आंकलित की जाने की आवश्यकता होगी।
- आवेदक के पास क्रम सं0-4 में यथा निर्धारित रूप में एक्सेल-प्रारूप में तालिका को ऑनलाइन अपलोड करने का विकल्प होगा।
- यदि एसईआईएस के अंतर्गत एक से अधिक सेवा श्रेणी में आवेदन किया गया है तो आवेदक उपर्युक्त (1) और (2) में यथा उल्लिखित पात्रता की उपर्युक्त रूप से गणना कर सकता है।

#### 5 समय-समय पर यथा अधिसूचित परिशिष्ट 3(घ) में उल्लिखित अनंतिम केन्द्रीय पीसी कोड के अनुसार प्रदत्त सेवाओं का विवरण और इसकी पात्रता का औचित्य

क्रम सं.	परिशिष्ट 3घ/3ड. के अनुसार सेवा श्रेणी	जब कभी उपर्युक्त क्रम सं0 4 में यथा निर्दिष्ट तालिका के कॉलम (2) और (3) में मेल नहीं होगा, तब कृपया औचित्य बताएं कि यह किस प्रकार परिशिष्ट 3घ/3ड. में संबंधित प्रविष्टि के अंतर्गत शामिल है।
1		
2		

6	अगले वित्तीय वर्ष के 1 अप्रैल को अमरीकी डॉलर से भारतीय रुपये में विनिमय दर	
7	यदि एनएफई धनात्मक है तो उपर्युक्त क्रम सं0 4 और 6 में यथा निर्दिष्ट तालिका के आधार पर दिनांक 01.04.2017 से 31.10.2017 की अवधि हेतु रुपए में पात्रता	
8	यदि एनएफई धनात्मक है तो उपर्युक्त क्रम सं0 4 और 6 में यथा निर्दिष्ट तालिका के आधार पर दिनांक 01.11.2017 से 30.03.2018 की अवधि हेतु रुपए में पात्रता	
9	कुल पात्रता (वर्ष 2017-18 हेतु 7 और 8 का योग)/अन्य वर्षों, 2015-16, 16-17 और 18-19 हेतु रुपयों में दी गई राशि उपर्युक्त क्रम सं0 4 और 6 में यथा निर्दिष्ट तालिका पर आधारित है	
10	विलंब शुल्क की दर, यदि कोई हो	

11	विलम्ब कटौती की राशि रूप में	
12	अंतिम हकदारी (9-11) रूप में	
13	पंजीकरण का पत्तन (आयात के प्रयोजन हेतु):	
14	अपेक्षित प्रमाणपत्रों की संख्या, यदि कोई हो (5.00 लाख रूपए प्रत्येक के गुणक में)–(कृपया नोट करें कि यदि दो स्क्रिप अपेक्षित हों, तो विभाजन की संख्या 1 होगी)	

**घोषणा / वचनबद्धता**

1	<p>मैं/हम एतद्वारा घोषणा करता हूँ/करते हैं कि:</p> <p>क. फर्म जिसके लिए आवेदन किया गया है, को पिछले पाँच वर्षों में निम्नलिखित किसी भी अधिनियम (समय-समय पर यथा संशोधित) के अधीन दंडित नहीं किया गया है/दंडित किया गया है (कृपया लागू भाग में काटने का निशान लगाएँ):</p> <p>(i) सीमाशुल्क अधिनियम, 1962</p> <p>(ii) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944</p> <p>(iii) विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992</p> <p>(iv) विदेशी मुद्रा प्रबन्धन अधिनियम, 1999; और</p> <p>(v) विदेशी मुद्रा संरक्षण, तस्करी गतिविधि निवारण अधिनियम, 1974</p> <p>(vi) जीएसटी अधिनियम</p> <p>(vii) एसईजेड अधिनियम और नियमावली</p> <p>ख. कम्पनी/फर्म/एचयूएफ/न्यास (जैसा भी मामला हो) का कोई भी निदेशक/साझेदार/स्वामी/कर्ता/न्यासी/फर्म/एचयूएफ/किसी अन्य कम्पनी में न्यासी/फर्म/संस्था जो डीजीएफटी की अपात्र घोषित सूची (डीईएल) में है का निदेशक/साझेदार/स्वामी/कर्ता/न्यासी नहीं है।</p> <p>ग. न तो कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय/फर्म के मुख्यालय और न ही उसके किसी शाखा कार्यालय (यों)/यूनिट (टों)/डिविजन (नों) को चूककर्ता घोषित किया गया है और न ही नीति के किसी प्रावधान के अधीन आयात/निर्यात करने के लिए अपात्र घोषित किया गया है।</p>
2	मैं एतद्वारा प्रमाणित करता हूँ कि विदेश व्यापार नीति के पैरा 9.51(i) और पैरा 9.51(ii) के अनुसार केवल भारत से प्रदान की गई सेवाओं के बदले अर्जित विदेशी मुद्रा को विदेश व्यापार नीति 2015-20 के पैरा 3.08(क) के अनुसार एसईआईएस के तहत इस आवेदन हेतु ध्यान में रखा गया है।
3	मैं एतद्वारा घोषणा करता हूँ कि घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र (डीटीए) में अवस्थित इकाई द्वारा एसईजेड इकाई को सेवा की कोई आपूर्ति नहीं की गई है जैसा कि नीति संबंधी परिपत्र सं. 1, दिनांक 11.06.2015 में प्रावधान किया गया है।
4	<p>मैं एतद्वारा घोषणा करता हूँ कि मेरे व्यापार का मुख्य क्षेत्र सेवाओं से संबंधित है, अतः सेवा निर्यात संवर्धन परिषद् (एसईपीसी)–पंजीकरण सह सदस्यता प्रमाण पत्र (आरसीएमसी) इस आवेदन के साथ प्रस्तुत किया जा रहा है।</p> <p>अथवा</p> <p>मैं एतद्वारा घोषणा करता हूँ कि मेरे व्यापार का मुख्य क्षेत्र सेवाओं से संबंधित नहीं है, अतः .....से आरसीएमसी प्रस्तुत किया गया है।</p>
5	मैं एतद्वारा घोषणा करता हूँ कि सेवाओं के बदले अर्जित विदेशी मुद्रा में डीजीएफटी की व्यापार सूचना 11 दिनांक 21.07.2016 के अनुसार केन्द्र/राज्य सरकार को भुगतान किए गए करों को शामिल नहीं किया गया है।

6. मैं एतद्वारा घोषणा करता हूँ कि मैंने विदेश व्यापार नीति 2015-20 के पैरा 3.09 में और समय-समय पर अद्यतन किए गए परिशिष्ट 3घ के अनुलग्नक में मौजूद अपात्र श्रेणियों का अवलोकन किया है और मैं घोषणा करता हूँ कि इस आवेदन के तहत ऐसी किसी सेवा जिसके लिए दावा किया गया है इन अपात्र श्रेणियों में से किसी के अंतर्गत शामिल नहीं है।

7. मैं एतद्वारा घोषणा करता हूँ कि इस एसईआईएस के तहत निर्यात निष्पादन का अंतरण, जो एफटीपी, 2015-20 के पैरा 3.17 के तहत अनुमत नहीं है, से संबंधित कोई दावा नहीं किया गया है।

8. मैंने परिशिष्ट 3घ और केन्द्रीय उत्पाद वर्गीकरण अनंतिम सूची (www.dgft.gov.in के डाउनलोड भाग में उपलब्ध, और समय-समय पर यथा अद्यतित) और परिशिष्ट 3घ में यथा उल्लिखित कोडों के तहत आने वाली सेवाओं जिनके लिए एसईआईएस दावा किया जा रहा है, को पढ़ लिया है।

9. मैं/हम समय-समय पर यथासंशोधित विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 उसके तहत बने नियम व आदेश, विदेश व्यापार नीति, प्रक्रिया पुस्तक के प्रावधानों का पालन करूंगा/करेंगे।

10. मैं/हम प्रमाणित करता/करते हूँ /हैं कि इस आवेदन में दिए गए ब्यौरे और विवरण सत्य और ठीक है तथा एएनएफ 3 ख में कुछ भी छुपाया अथवा रोका नहीं गया है। मुझे/हमें इस बात का पता है कि यदि आवेदन में दी गई कोई जानकारी गलत या झुठी साबित होगी तो मुझे/हमें कोई भी दण्डात्मक कार्रवाई अथवा अन्य परिणाम भुगतने पड़े सकते हैं जैसे कि विधि द्वारा निर्धारित या अन्यथा अपेक्षित हो। अपात्र दावे/अतिरिक्त दावे की स्थिति में मेरा यह दायित्व होगा कि सीमाशुल्क अधिनियम 1962 की धारा 28 क क के तहत निर्धारित दर पर ब्याज के साथ सीमा शुल्क संगत खाता शीर्ष में स्क्रिप जारी की तारीख से अपात्र दावा/अतिरिक्त दावे की वापसी इलेक्ट्रॉनिक पद्धति/भुगतान की कोई अन्य अनुमत पद्धति से एक माह के भीतर की जाए। मुझे पता है कि मुझे किसी भी चरण में डीजीएफटी द्वारा आदेश किए जाने पर स्क्रिप का, चाहे आंशिक रूप से उपयोग की गई हो या पूर्ण रूप से अभ्यर्पण करना होगा।

11. मैं एतद्वारा प्रमाणित करता हूँ कि मैं विदेश व्यापार नीति के पैरा 9.06 के अनुसार इस घोषणा का सत्यापन करने और इस पर हस्ताक्षर करने हेतु प्राधिकृत हूँ।

12. फर्म, जिसके लिए आवेदन किया गया है, को ऊपर दी गई घोषणा (1) के अनुसार यदि दंड दिया गया है, तो ऐसे दंडों के ब्यौरे का उल्लेख नीचे किया जाए।			
क्र० सं०	फाइल सं०	लगाया गया दंड	भुगतान किया गया/नहीं भुगतान किया गया/के विरुद्ध अपील की गई।
1			
2			



ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करते समय ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने के साथ, घोषणा 1 से 12 को स्वीकार करने के उद्देश्य से इस बॉक्स पर टिक का निशान लगाना है।

डिजिटल हस्ताक्षर

आवेदक का हस्ताक्षर

### एएनएफ 3 ख के अनुलग्नक

अनुलग्नक क से ग को भरने हेतु सनदी लेखाकार (सीए)/लागत एवं निर्माण कार्य लेखाकार (आईसीडब्ल्यूए)/कम्पनी सचिव (सीएस) के लिए अनुदेश

1. अनुलग्नक क से ग में सभी कॉलम भरना अनिवार्य है चाहे राशि शून्य भी क्यों न हों।
2. अनुलग्नक ग के प्रयोजन हेतु व्यय का अर्थ संगत अवधि/वित्तीय वर्ष में सेवा क्षेत्र के संबंध में आईईसी धारक द्वारा किया गया कुल व्यय/भुगतान/विप्रेषित धन है।
3. यदि आईईसी धारक माल के विनिर्माता के साथ-साथ सेवा प्रदाता भी हो, तो केवल सेवा क्षेत्र के लिए ही विदेशी मुद्रा अर्जन और कुल व्यय/भुगतान/विप्रेषित धन का ध्यान रखा जाएगा।
4. प्रमाणित करने वाले प्रोफेशनल को यह दावा प्रस्तुत करने से पहले सुनिश्चित करना चाहिए कि आवेदन यूएन केन्द्रीय उत्पाद वर्गीकरण अनंतिम सूची और उसमें निहित विवरणों के अनुकूल है। मिथ्या-घोषणा के मामलों में मौजूदा कानूनों, नियमावली और विनियमों के अनुसार कार्रवाई शुरू की जाएगी।
5. एएनएफ 3ख के अनुलग्नक के सभी पृष्ठों को सनदी लेखाकार (सीए)/लागत एवं निर्माण कार्य लेखाकार (आईसीडब्ल्यूए)/कम्पनी सचिव (सीएस) द्वारा अनुप्रमाणित कराना होगा।

### सनदी लेखाकार (सीए)/लागत एवं निर्माण कार्य लेखाकार (आईसीडब्ल्यूए)/कंपनी सचिव (सीएस) का प्रमाण पत्र

मैंने निर्धारित रजिस्टर तथा मैसर्स ..... के संबंधित अभिलेखों की भी जांच की है जिसका आईईसी सं० ..... और अवधि ..... है तथा प्रमाणित करता हूँ कि:

1. बिलों, बीजकों, फार्वर्ड इनवर्ड प्रेषण प्रमाण पत्र (एफआईआरसी), बैंक प्राप्ति प्रमाणपत्रों, अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड कंपनियों के प्रमाण पत्र तथा अर्जित विदेशी मुद्रा के साक्ष्यों की मेरे द्वारा जांच करके सत्यापित किया गया है।
2. वित्तीय वर्ष में सेवा क्षेत्र से संबंधित आईईसी धारक द्वारा किए गए कुल व्यय/भुगतान/विदेशी मुद्रा के प्रेषण से संबंधित अभिलेखों की मेरे द्वारा जांच करके सत्यापित किया गया है।
3. सेवाएं जिनके लिए लाभ का दावा किया गया है उनमें विदेश व्यापार नीति 2015-20 के पैरा 3.09 के अंतर्गत सूचीबद्ध सेवाओं और प्रेषणों को शामिल नहीं किया जाता है।
4. न तो मैं और न ही मेरा/हमारा साझेदार उपर्युक्त कंपनी, इसकी समूह कंपनियों अथवा इसके संबद्ध व्यापारिक संस्थानों में साझेदार, निदेशक अथवा कर्मचारी हूँ।
5. वित्तीय वर्ष में सेवा क्षेत्र के संबंध में आईईसी धारक द्वारा भारत से भारत के बाहर अथवा भारत में से सेवा की आपूर्ति करके अर्जित विदेशी मुद्रा तथा विदेशी मुद्रा का किया गया कुल व्यय/भुगतान/प्रेषण का विवरण नीचे तालिका 1 में निम्नानुसार है:-
6. आवेदक द्वारा एएनएफ 3 ख के क्र० सं०-6 से 12 में भरी गई सूचना को मैंने सत्यापित किया है और इसे सही पाया है।
7. मैं यह घोषणा करता हूँ कि मैंने प्रेषण के इसी साक्ष्य के साथ इस प्रमाणपत्र के अनुलग्नक ख में उल्लिखित सभी बीजक को सहसंबंधित किया है और इसे मेरे द्वारा सही पाया गया है। मैं एतद्वारा घोषणा करता हूँ कि मैंने परिशिष्ट 3 घ के अनुसार इसी सेवा श्रेणी के साथ इन बीजकों के विवरण को सहसंबंधित किया है और इस प्रमाणपत्र की तालिका 1 और तदनुसार अनुलग्नक ख में अनंतिम सीपीसी कोड को भरा है।



कार्यरत ईमेल आईडी	
स्थान	
दिनांक	

**अनुलग्नक-क**

समय-समय पर यथा अद्यतन परिशिष्ट 3घ में उल्लिखित अनंतिम केंद्रीय पीसी कोड के अनुसार प्रदान की गई सेवाओं का विवरण और इसकी पात्रता का औचित्य।

क्र० सं०	परिशिष्ट 3घ/3ड. के अनुसार सेवा श्रेणी	जहां कहीं भी उपर्युक्त तालिका 1 के अनुसार तालिका के कॉलम (2) और (3) के बीच में मेल नहीं पाया जाता है, तो कृपया औचित्य बताएं कि परिशिष्ट 3घ/3ड. में उचित प्रविष्टि के तहत यह कैसे शामिल किया गया है।
1		
2		

**अनुलग्नक ख**

क्र० सं०	बीजक संख्या	बीजक की तिथि	परिशिष्ट 3घ के अनुसार अनंतिम सीपीसी कोड	तदुनरूपी एफआईआरसी / ईएफआईआरसी सं०/बैंक प्रमाणपत्र	बीजक के अनुसार अमेरिकी डॉलर/ भारतीय रुपये में मूल्य
1					
2					

**अनुलग्नक ग**

वित्तीय वर्ष में कुल व्यय/भुगतान/विप्रेषित धन की गणना

क्र० सं०	बीजक संख्या और तिथि	व्यय/भुगतान/विप्रेषित धन के लेन-देन की तारीख	लेन-देन की मुद्रा में व्यय की राशि	अमेरिकी डॉलर में परिवर्तित करने हेतु लेन-देन की तारीख पर विनिमय दर	अमेरिकी डॉलर में समतुल्य (अर्थात् 4x5)
1	2	3	4	5	6
	दिनांक 01.11.2017 से 31.03.2018 तक की अवधि के लिए कुल व्यय/भुगतान/विप्रेषित धन (केवल वर्ष 2017-18 के एसईआईएस दावों के लिए भरे जाने हेतु)				
	दिनांक 01.04.2017 से 31.10.2017 तक की अवधि के लिए कुल व्यय/भुगतान/विप्रेषित धन (केवल वर्ष 2017-18 के एसईआईएस दावों के लिए भरे जाने हेतु)				
	अन्य वित्तीय वर्षों के लिए अवधि में कुल व्यय/भुगतान/विप्रेषित धन				

**MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY****(Department of Commerce)****(Directorate General of Foreign Trade)****PUBLIC NOTICE**

New Delhi, the 28th June, 2018

**No. 15 /2015-2020****Subject: Revised ANF 3B for application under Services Exports From India Scheme (SEIS)**

**F. No. 01/61/180/39/AM19/PC-3.**—In exercise of powers conferred under paragraph 1.03 of the Foreign Trade Policy 2015-2020, the Director General of Foreign Trade hereby notifies a new ANF 3B for Services Exports From India Scheme (SEIS), under para 3.04 (b) of the Handbook of Procedures 2015-20.

2. The new ANF 3B is annexed to this Public Notice.

**Effect of Public Notice:** A new application format for grant of duty credit scrips under Services Exports from India Scheme (SEIS) is notified, for all SEIS applications with immediate effect.

ALOK VARDHAN CHATURVEDI, Director General of Foreign Trade

Annexure to the Public Notice No. 15 / 2015-20 Dated 28th June, 2018

**ANF-3 B****Application Form for Service Exports From India Scheme (SEIS)**

(Kindly read para 3.07 to 3.12 of FTP and Para 3.04 of HBP and other common procedural features applicable to SEIS before filing application)

**Guidelines for Applicants:**

Along with filling the ANF 3B as below, the Applicants shall upload the following documents online

1. Documentary evidence of payments which are approved by RBI as deemed to be received in foreign exchange and deemed to be earned in foreign exchange for services in Appendix 3E.
2. In case the description of the services as per the invoices is different from the Description of Services in the Appendix 3D/3E, then the copies of the sample invoices for each of the different service shall be uploaded by the Applicant.

(To be filled by the Applicant online in the SEIS E-com module for the relevant year)

1.	Applicant Details:	
i	IEC No. (10 Digit alphanumeric PAN from 01.07.2017)	
ii	Date of Issue of IEC: (please note para 3.08 (f) of FTP)	
iii	Name of the firm	
iv	Address	
v	Telephone No	
vi	Email ID	
2.	RCMC Details :	
i.	RCMC Number	
ii.	Valid upto [dd-mm-yyyy]	--
iii.	Issuing Authority	
iv.	Products / Services for which registered – in terms of main line of business	
3	Frequency of Application	Annual
4.	Invoice-wise details of Net Foreign Exchange earned for eligible services: (please read Guidelines for filling the Table)	( Information for year/ period of rendering service only requires to be filled in the table below)



Sl No	Description of service rendered as per description in Invoices	Invoice no and date	Sl No. of Service as per Appendix 3D/3E and description	Rate of entitlement as per Appendix 3D (in %)	Gross Foreign Exchange earned in US\$/ in INR for 3E	Total expenses/ payment/ remittances of Foreign Exchange in US \$	Net Foreign Exchange earned in US \$ (1)	Entitlement in US\$
1	2	2A	3	4	5	6	7=(5-6)	8= (4X7)
<b>To be filled for the year of Rendering Service Other than year 2017-18</b>								
1								
2								
3								
..								
	Total					Total as per Annexure C	Total NFE	Total Entitlement in USD (1)

<b>To be filled for the year of rendering service 2017-18*</b>								
For Period 01.04.2017 to 31.10.2017 (Period 1)								
1								
2								
..								
						Total as per Annexure C	Total NFE	Total Entitlement in USD (1)
For period 01.11.2017 to 31.03.2018 (Period 2)								
1								
2								
						Total as per Annexure C	Total NFE	Total Entitlement in USD (1)
								Total Entitlement in USD (2)

#### Guidelines for filling the Table above:

- 1) If the "Total NFE in USD" in Col. No. 7 of the Table above exceeds the minimum earnings criteria prescribed at para 3.08 (b) of FTP, the RA will issue scrip as per entitlement. In case amount in Col. No. 7 of the Table above is negative, entitlement for the period is zero, hence no scrip would be issued.
- 2) For calculation of Entitlement under SEIS for the year of rendering service 2017-18, if the Net Foreign Exchange Earnings of a period 1 or period 2 is negative (as in Column 7 of the table above) the negative NFE would be added with the other period, as the case may be, for arriving at the NFE of the other period. The applicant would be granted a scrip, only if this NFE is positive. The entitlement would be based on the prescribed rates for the period in which positive NFE is achieved. The minimum NFE earnings criteria for the year 2017-18 period would need to be assessed as in para 3.08(b) separately for the whole year, irrespective of the calculation in this note.
- 3) The Applicants have an option of uploading online, the Table as in Serial no. 4 in Excel format.
- 4) In case, more than one service category is applied for under SEIS, the applicant may suitably calculate the entitlement as described in (1) and (2) above

#### 5. Write up of services rendered and justification of its eligibility as per the provisional Central PC code mentioned in Appendix 3D as notified from time to time

Sl. No.	Service Category as per Appendix 3D/3E	Wherever there is a mismatch of between column (2) and (3) of the table as in Sl n., 4 above, please provide justification as to how it is covered under the relevant entry in the Appendix 3D/3E.
1		
2		

6	Exchange rate of US\$ to INR as on 1 <sup>st</sup> April of the next financial year	
7	Entitlement for the period 01.04.2017 to 31.10.2017 in Rs based on table as in SI No. 4 and 6 above, if positive NFE	
8	Entitlement for the period 01.11.2017 to 31.03.2018 in Rs based on table as in SI no 4 and 6 above, if positive NFE	
9	Total Entitlement (sum of 7 and 8, for year 2017-18)/ For other years, 2015-16, 16-17 and 18-19 figures in Rs based on table as in SI Nos. 4 and 6 above	
10	Rate of Late Cut, if any	
11.	Late Cut Deduction amount in Rs	
12	Final Entitlement (9-11) in Rs	
13	Port of Registration (for purpose of imports):	
14	Number of Certificates required, if any ,(in multiples of Rs.5.00 lakhs each) – (please note that in case two scrips are required, the number of split is 1)	

### **DECLARATION/UNDERTAKING**

1	<p>I/We hereby certify that :</p> <p>A. the entity for whom the application has been made <u>have not been penalized/ have been penalized</u> (please cut across in applicable portion) under any of the following Acts (as amended from time to time) in the last five years:</p> <p>(i) The Customs Act, 1962,</p> <p>(ii) The Central Excise Act 1944,</p> <p>(iii) Foreign Trade (Development &amp; Regulation) Act 1992,</p> <p>(iv) The Foreign Exchange Management Act,1999; and</p> <p>(v) The Conservation of Foreign Exchange, Prevention of Smuggling Activities Act, 1974</p> <p>(vi) The GST Acts</p> <p>(vii) SEZ Acts and Rules</p> <p>B. None of the Directors / Partners / Proprietor / Karta / Trustees of the company /firm /HUF/Trust, (as the case may be), is/are a Director(s) / Partner(s) / Proprietor / Karta / Trustee in any other Company/ firm / entity which is on the Denied Entity List (DEL) of DGFT.</p> <p>C. neither the Registered Office of the company / Head Office of the firm / nor any of its Branch Office(s)/ Unit(s)/ Division(s) has been declared a defaulter and has otherwise been made ineligible for undertaking import / export under any of the provisions of the Policy.</p>
2	I hereby certify that foreign exchange earned on account of services rendered from India alone in terms of Para 9.51 (i) and Para 9.51 (ii) of FTP has been taken into account for this application under SEIS as per Para 3.08(a) of FTP 2015-20
3	I hereby declare that there is no supply of service by unit located in DTA to SEZ Unit as provided in Policy Circular No.1, dated 11.06.2015
4	I hereby declare that my main line of business is services and therefore SEPC RCMC is being submitted with this application. Or I hereby declare that my main line of business is not services and therefore, the RCMC from ..... has been submitted
5	I hereby declare that foreign exchange earned against services are exclusive of taxes paid to Central/state government as per Trade notice 11 dt. 21.07.2016 of DGFT.
6	I hereby declare that I have perused the ineligible categories as present in the para 3.09 of the <a href="#">FTP 2015-20</a> and the Annexure to Appendix 3D updated from time to time, and I declare that no service for which a claim has been filed under this application is covered under any of these ineligible categories.
7	I hereby declare that no claim under this SEIS pertains to Transfer of export performance, which not permitted under Para 3.17 of FTP, 2015-20.
8	I have gone through the Appendix 3D and the Central Product Classification Provisional list (available in the downloads section of <a href="#">www.dgft.gov.in</a> , and as updated from time to time) and the services for which SEIS claim is being made fall under the Codes as mentioned in the Appendix 3D
9	I/We undertake to abide by the provisions of the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992, as amended from time to time, the Rules and Orders framed there under, the Foreign Trade Policy, the Handbook of Procedures
10	I/We hereby certify that that particulars and statements made in this application are true and correct and nothing has been concealed or held there ANF 3B from. I/We fully understand that any information furnished in the application if found incorrect or false will render me/us liable for any penal action or other consequences as may be prescribed in law or otherwise warranted. In case of ineligible claim/ over claim, I shall be under obligation to refund the ineligible claim/ overclaim in electronic mode/ any other permitted mode of payment with interest at the rate with interest at the rate prescribed under section 28 A A of the Customs Act 1962, from the date of issue of scrip in the relevant Head of Account of Customs within one month. I understand that I shall also be under obligation to surrender the scrip whether partially utilized or fully unutilized, at any stage, if asked to do so by the DGFT.
11	I hereby certify that I am authorized to verify and sign this declaration as per Paragraph 9.06 of the Foreign Trade Policy.

12. In case the entity for whom the application has been made have been penalized as per the declaration (1) above, the details of such penalties are to be mentioned as below.

SI No.	File No.	Penalty Imposed	Paid/ Not paid/ Appealed against
1			
2			



This box needs to be ticked while submitting the application online, in order to have accepted the declarations 1 to 12 to proceed with the submission of the application online.

Signature of the Applicant	DIGITAL SIGNATURE
----------------------------	-------------------

### Enclosure to ANF 3B

**Instruction for Chartered Accountant (CA) / Cost and Works Accountant (ICWA) / Company Secretary (CS) for filling up Annexure A to C.**

1. It is mandatory to fill all columns in Annexure A to C, even if the amount is NIL.
2. Expenses for the purpose of Annexure C shall mean Total expenses / payment / remittances of Foreign Exchange by the IEC holder, relating to service sector in the relevant period/ FY
3. If the IEC holder is a manufacturer of goods as well as service provider, then the foreign exchange earnings and Total expenses/payment /remittances shall be taken into account for service sector only.
4. The certifying professional should ensure that the application in coherence with the UN Central Product Classification Provisional List and Descriptions therein, before filing this claim. In cases of mis-declaration, action shall be initiated as per existing laws, rules and regulations
5. All pages of the Enclosure to ANF 3B needs to be attested by the CA/ Chartered Accountant (CA) / Cost and Works Accountant (ICWA) / Company Secretary (CS)

### CERTIFICATE OF CHARTERED ACCOUNTANT (CA) / COST AND WORKS ACCOUNTANT (ICWA) / COMPANY SECRETARY (CS)

I have examined prescribed registers and also relevant records of

M/s .....

Having IEC Number.....

for period .....

and certify that:

1.	Bills, Invoices, Forward Inward Remittance Certificates (FIRCs), Bank Realization Certificates, Certificate from international credit card companies, and evidences of foreign exchange earnings have been examined and verified by me.
2.	Relevant records relating to Total expenses /payment/remittances of Foreign Exchange, by the IEC holder, relating to service sector in the Financial year have been examined and verified by me.
3.	Services for which benefit is claimed do not include ineligible services and remittances as per the FTP and HBP 2015-20, Policy circulars and Trade Notices as published from time to time.
4.	Neither I, nor any of my / our partners is a partner, director, or an employee of above-named entity, its Group companies or its associated concerns.
5.	Details of Foreign Exchange Earned for Supply of Service From India to outside India or in India, and Total expenses /payment/remittances of Foreign Exchange by the IEC holder, relating to service sector in the Financial year is as under the Table 1 below.
6.	I have verified the information in the Sl no. 6 to 12 of the ANF 3B, filled by the applicant and have found them to be correct
7.	I hereby declare that I have correlated all the Invoices mentioned in Annexure B of this certificate with the corresponding proof of remittance and found them to be correct. I hereby declare that I have correlated the description of these invoices with the corresponding service category as per Appendix 3D and have filled the table 1 of this certificate and the provisional CPC code in Annexure B accordingly.

**Table 1.**

### CATEGORY WISE details of Net Foreign Exchange earned for eligible services

(please read the Guidelines to the table in Sl no. 4 of the ANF 3B)

Sl. No.	Description of service rendered as per Invoices of the relevant category	Sl No. of Service Category as per Appendix 3D/3E	Rate of entitlement as per Appendix 3D (in %)	Gross Foreign Exchange earned in US\$/ in INR for 3E	Total expenses/ payment/ remittances of Foreign Exchange in US \$	Net Foreign Exchange earned in US \$	Entitlement in US\$
1	2	3	4	5	6	7=(5-6)	8=(4X7)
To be filled for the year of Rendering Service Other than year 2017-18							
1							

2							
3							
						Total NFE	Total Entitlement in USD
To be filled for the year of Rendering Service 2017-18							
For Period 01.04.2017 to 31.10.2017 (Period 1)							
1							
2							
						Total NFE	Total Entitlement (A)
For period 01.11.2017 to 31.03.2018 (Period 2)							
1							
2							
						Total NFE	Total Entitlement (B)
							Total Entitlement in USD

I fully understand that any statement made in this certificate, if proved incorrect or false, will render me liable to face any penal action or other consequences as may be prescribed in law or otherwise warranted.

Signature of CA/ICWA/CS	
Name of the Signatory	
Designation	
Membership No.	
Official Address	Flat/Plot/Block No
	Street/Area/Locality
	City
	State
	PIN Code
Telephone No.	Country
	Code ----- Area Code ----- Phone Number
Fax No.	
Functional Email id :	
Place:	
Date:	

#### Annexure-A

A write up of services rendered and justification of its eligibility as per the provisional Central PC code mentioned in Appendix 3D as updated from time to time

Sl. No.	Service Category as per Appendix 3D/3E	Wherever there is a mismatch of between column (2) and (3) of the table as in Table 1 above, please provide justification as to how it is covered under the relevant entry in the Appendix 3D/3E.
1		
2		

#### Annexure B

Sl. No.	Invoice No.	Date of Invoice	Provisional CPC Code as per Appendix 3D	Corresponding FIRC/ e FIRC No./ Bank Certificate	Value in USD/ INR as per Invoice
1					
2					

**Annexure-C**

Calculation of Total expenses /payment/remittances in the financial year:

Sl. No.	Invoice no and date	Date of transaction of expenses/payment /remittances	Amount of expenses in currency of transaction	Exchange rate on Date of Transaction to convert in US \$	Equivalent in US \$ (i.e. 4X5)
1	2	3	4	5	6
Total expenses /payments/ remittances in the period 01.11.2017 to 31.03.2018 (to be filled for SEIS Claim for 17-18 only)					
Total expenses /payments/ remittances in the period 01.04.2017 to 31.10.2017 (to be filled for SEIS Claim for 17-18 only)					
Total expenses /payments/ remittances in the period for other Financial Years					